18/11/20 याचिकाकर्ता पेशाईदा व कौल उमरपुत्र व्या। धरनवानी प्रकरण रामपाल। मनजी मीणा। किसी स्टेप से सम्बन्धित वाद मनमाट बनाम मनजी मु० न० 184/12 पूर्व में दिनांक 21-1-2016 को आंतिम डिक्री हो चुका है। इसलिये उक्त उनवानी प्रकरण सम्मान S. 11 C.P.C. के अनुसार प्रागन्याय के सिद्धान्त लागू होते हैं (S. 11 CPC) मैं यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि इसी खा० न० 196/6-7 व खा० न० 195 परिवार वाले ग्राम समेल निर्णीत हो चुका होने से प्रकरण प्रागन्याय के सिद्धान्त अनुसार खारिज किया जाता है। याचिका फैसला होने बाद फैसल लिखा जाए।

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास जिला दौसा (राज०)